रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 1992/आषाढ़ 13, 1914
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 1992/ASADHA 13, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1992

आ० अ० 67 (अ):— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार के परामर्श से इस समय बिहार सरकार के मंत्रिमण्डल सचिवालय और समन्वय विभाग (निर्वाचन अनुभाग) के प्रधान सचिव, आरक्षण आयुक्त और सचिव, राज्य सरकार अभिलेखागार विभाग के रूप में पदाभिहित श्री सतीश भटनागर को तारीख 9 मार्च, 1982 की अधिसूचना सं० 154/बिहार/82 के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित किया था;

और, आयोग ने तारीख 18 जून, 1992 के पत्र सं० 318/92 के द्वारा उक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार को बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा और बिहार विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए अपना प्रेक्षक नियुक्त किया था जिसका निर्वाचन 25 जून, 1992 को कराया जाना था।

और, आयोग ने अपने तारीख 1 जुलाई, 1992 के आदेश द्वारा 25-6-1992 को पटना में बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा और बिहार विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचनों को शून्य घोषित कर दिया;

और, तारीख 1 जुलाई, 1992 के उसी आदेश में आयोग ने यह देखा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, जिन्हें उक्त निर्वाचनों के लिए आयोग ने विशेषरूप से अपना प्रेक्षक नियुक्त किया था अपने कार्यों को करने में भारी गैर जिम्मेदारी दिखाई है और कि जिस समय मतदान केन्द्र में उनकी उपस्थिति अति आवश्यक थी अर्थात् मतदान के व्यस्ततम समय जब अधिकतम संख्या में मतदाता अपना मत डाल रहे थे ठीक उसी समय वे अनुपस्थित रहे;

और, तारीख 1 जुलाई, 1992 के उक्त आदेश में आयोग ने यह कहा है कि श्री सतीश भटनागर बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को संभालने में अयोग्य हैं;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 13क और धारा 20 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों

का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग ने यह निदेश दिया है कि श्री सतीश भटनागर तारीख 1 जुलाई, 1992 से बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं रहेंगे।

[सं० 154/बिहार/92]

आदेश से,

के० पी० जी० कुट्टी, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1992

O.N. 67(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act. 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Bihar had nominated Shri Satish Bhatnagar, presently designated as Principal Secretary to Govt. of Bihar, Cabinet Secretariat and Co-ordination Department (Election Section) Reservation Commissioner and Secretary to Government State Archives Department, as Chief Electoral Officer of Bihar vide its Notification No. 154|BR|82 dated 9th March, 1982;

And whereas, the Commission vide its letter No. 318|92 dated 18th June, 1992 appointed the said Chief Electoral Officer, Bihar as its observer for the biennial elections to the Council of States and the Bihar Legislative Council by Members of the Bihar Legislative Assembly, the poll for which was to be taken on the 25th June, 1992;

And whereas, the Commission has by its order dated the 1st July, 1992 declared the poll taken at Patna on 25-6-1992 for the biennial elections to the Council of States and the Bihar Legislative Council by Members of the Bihar Legislative Assembly as void;

And whereas, in the same order dated the 1st July, 1992 the Commission has observed that the Chief Electoral Officer, who was specifically appointed by the Commission as its Observer for the above elections displayed gross lack of a sense of responsibility in discharging the duties assigned to him and that he chose to be absent precisely at the time when his presence in the polling station was most needed, namely, the peak hours of polling when the maximum number of voters were casting their votes;

And whereas, the Commission has held in the said order dated 1st July, 1992 that Shri Satish Bhatnagar is unfit to hold the office of the Chief Electoral Officer of the State of Bihar;

Now, therefore, in exercise of powers conferred on it by Article 324 of the Constitution, read with Section 13A and Section 20 of the Representation of the People Act, 1951 and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission has directed that Shri Satish Bhatnagar has ceased to be the Chief Electoral Officer of the State of Bihar with effect from the 1st of July, 1992.

[No. 154|BR|92]

By Order,

K. P. G. KUTTY, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992